

न्यायालय— सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर

क्रमांक : आम सूचना /04

दिनांक 04.05.2020

आम सूचना

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक— 17/पीआई. /2020 दिनांक 03.05.20 के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम की दिशा में जारी दिशा निर्देशों के लिए श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर के आदेश क्रमांक— 61 दि 03.05.20 की अनुपालना में दि 04.05.2020 से दिनांक 17.05.2020 तक के कार्यदिवसों में केवल निम्न प्रकृति के अत्यावश्यक प्रकरणों की सुनवाई की जावेगी :-

1. जमानत प्रार्थना पत्र
2. रिमाण्ड प्रकरण
3. व्यादेश/स्थगन सम्बन्धी प्रकरण
4. सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र
5. बयान अन्तर्गत धारा 164 दं.प्र.सं./मृत्युकालीन कथन
6. एवं ऐसे अन्य प्रकरण जो कि न्यायालय की राय में अत्यावश्यक प्रकृति के हो।

वर्तमान नियत तिथि	ऐसे मामलों में जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, उनमें सुनवाई की तिथि	आगामी नियत तिथि	
		दीवानी प्रकरण	फौजदारी प्रकरण
04.05.20	18.05.20	09.07.20	11.06.20
05.05.20	19.05.20	10.07.20	12.06.20
06.05.20	20.05.20	13.07.20	15.06.20
07.05.20	21.05.20	14.07.20	16.06.20
08.05.20	22.05.20	15.07.20	17.06.20
11.05.20	22.05.20	16.07.20	18.06.20
12.05.20	26.05.20	17.07.20	19.06.20
13.05.20	27.05.20	18.07.20	20.06.20
14.05.20	28.05.20	20.07.20	22.06.20
15.05.20	29.05.20	21.07.20	23.06.20
16.05.20	30.05.20	22.07.20	24.06.20

उक्त प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त शेष समस्त प्रकरणों की विधिवत् सुनवाई हेतु निम्न तिथियाँ सुनिश्चित की जाती है। किसी दीवानी/फौजदारी प्रकरण में यदि स्थगन आदेश प्रभावी है तो वह आगामी सुनवाई की तिथि तक प्रभावी रहेगा।

परिवर्तित तिथियाँ शीघ्र ही CIS 3.0 पर अपडेट कर दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि कोई पक्षकार अपने प्रकरण को अत्यावश्यक प्रकृति का मानकर सुनवाई चाहता है तो वह इस सम्बन्ध में कारणों को अंकित करते हुये न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की दशा में यदि

न्यायालय सुनवाई के पश्चात् यह उचित पाता है कि मामला वास्तव में अत्यावश्यक प्रकृति का है तो वह ऐसे प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रसर होगा।

नवीन प्रकरणों की संस्थिति पूर्व की भांति जारी रहेगी परन्तु यह प्रयास किया जावे कि उक्त स्थिति में भी केवल आवश्यक व्यक्ति ही न्यायालय परिसर में उपस्थित आवे।

— SD —  
सिविल न्यायाधीश एवं  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर

क्रमांक— रीडर/2020/ 64

दिनांक 04.05.20

प्रतिलिपि :

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, धौलपुर को सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, धौलपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि इस सूचना से समस्त अभिभाषकगण को सूचित करावे तथा अभिभाषकगण से भी अनुरोध करे कि वे अपने पक्षकारान को प्रकरणों की तारीखों की सूचना मोबाईल आदि से दे ताकि वे न्यायालय में आने से बचे और संकमण मुक्त व सुरक्षित रहे।
3. आदेश की प्रति सिस्टम असिस्टेंट को प्रेषित कर लेख है कि आम सूचना न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करे।
4. सूचना की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चिपकायी जावे।
5. कार्यालय प्रति।

सिविल न्यायाधीश एवं  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर